

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4992/2025

तेज बहादुर एवं 8 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

नन्हक (मृतक) एवं 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: उदिशा त्रिपाठी, वैभव त्रिपाठी, विनोद कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को बेहतर विशिष्टियों और मामले के विस्तृत विवरण के साथ नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई इस प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
- इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
- कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई आदेशों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न है, तो उसे संबंधित स्थान पर उसकी फोटोस्टेट प्रति रखने के बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को वापस कर दिया जाए।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

विनय